

प्ररूप अ. डि. -16

अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि के रद्दकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के आशय की सूचना

(नियम 61(2))

(हस्तक्षेप के आधारों का तीन प्रतियों में विवरण सहित तीन प्रतियों में भरा जाए ।)

-----1 के नाम में रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिज़ाइन सं.-----के मामले में

और

-----2 के अधीन अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के मामले में मैं/हम -----उपर्युक्त मामले की कार्यवाहियों में अपने/हमारे हस्तक्षेप करने के आशय की सूचना देते हैं ।

इन कार्यवहियों से संबंधित सभी पत्राचार भारत में निम्नलिखित पते पर भेजे जाएं ।

आज तारीख -----मास -----20

हस्ताक्षर -----

सेवा में ,

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

-----पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम भरें ।
2. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का नाम, और पता भरें ।
3. सूचना देने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें ।
4. सूचना देने वाले व्यक्ति या उसके अधिकारी हस्ताक्षर ।
5. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान के नाम का उल्लेख करें । देखे नियम -4